(8)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा
.... जिला रीवा म0प्र0 ....R-5123-दो/15

श्री ... सिंह बाघेला एड. द्वारा पेश 21.10.15

विषम्भर सिह पिता स्व0 राम सिह उम्र 79 साल निवासी लालपुर थाना उमरिया तहसील बॉधवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

1–महन्त कुमार सिह उर्फ महेन्द्र कुमार सिह उम्र लगभग 58 साल
2–गजराज सिह उम्र लगभग 56 साल दोनो के पिता स्व0 मोहन सिह दोनो निवासी लालपुर थाना उमरिया तहसील बॉधवगढ जिला उमरिया म0प्र0
.... उत्तरदातागण

477
21.10.15

निगरानी विरूद्व न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया के सीमॉकन प्र0क02/अ–12/2014–15मे पारित आदेष दिनॉक 1/4/15

....

मान्यवर

निगरानीकर्ता द्वारा पेश निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– उत्तरदाता क01 महन्त कुमार सिह द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 0.914 हें0 स्थित ग्राम कुआ पटवारी हल्का पिपरिया

विषम्भर सिंह

YXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

------ विषम्भर सिंह/ महंत कुमार सिंह

प्रकरण कमांक निग0 5123–दो/15 जिला –उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 02/अ–12/2014–15 आदेश दिनांक 1–4–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । ग्राहयता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिये आवेदन पत्र दिया जिसमें 27–11–2014 को सीमांकन होने की सूचना दी गयी । सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा E.T.S.M. मशीन से किया गया । इस सीमांकन की पुष्टि दिनांक 1–4–2015 को राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी । इस सीमांकन प्रतिवेदन में सीमांकित आराजी के अंश भाग 0.405 है0 पर आवेदक का गेहू की फसल बोकर कब्जा पाया गया । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि उक्त भूमि आवेदक अनावेदक की पुरानी पैत्रिक सम्पत्ति है तथा मौखिक हिस्सा बांट में निगरानीकर्ता को प्राप्त हुई थी। सीमांकन की सूचना आवेदक को नहीं दी गई । आवेदक द्वारा यह निगरानी दिनांक 21–10–2015 को प्रस्तुत की गई जबकि सीमांकन दिनांक 27–11–2014 को किया गया । जिसकी पुष्टि दिनांक 1–4–2015 को तहसीलदार द्वारा की गई जिसमें किसी प्रकार	

R 5123-II/15 उमरिया

की कोई आपत्ति प्राप्त न होने का उल्लेख है । इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका पंचनामा के समय आवेदक विषम्भर सिंह को सूचना थी, एवं अन्य काश्तकार भी उपस्थित थे । परन्तु उस समय उसके द्वारा तहसीलदार को कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई । सीमांकन की जानकारी आवेदक को थी, यह प्रकट होता है । इस न्यायालय में दिनांक 21—10—2015 को निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निगरानी हेतु निर्धारित समयावधि के बाहर है एवं विलम्ब का कोई पर्याप्त आधार भी नहीं बताया है । अतः समयावधि से बाहर होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है ।

सदस्य